Navbharat Times

उत्तराखंड में जल्द होगी खाली पदों पर भर्ती, SC/ST का बैकलॉग होगा क्लियर

सचिवों के साथ बैठक करते सीएम हरीश रावत

देहरादून
मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में एससी और एसटी पदों को भरने के लिए एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान चलाकर इन पदों को भरा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य पदों को भी भरने के लिए सारी औपचारिकताएं जल्द पूरी करते हुए जल्दी अधिसूचना जारी की जाएगी। सीएम ने कहा कि जिन विभागों ने रिक्त पदों और बैकलॉग के पदों के लिए अभी तक सूचना नहीं दी है वे एक सप्ताह के अंदर कार्मिक विभाग को सूचना उपलब्ध करवाएं।

उत्तराखंड में आरक्षित वर्ग के पद काफी संख्या में बैकलॉग में हैं। आरक्षण नियमों के अनुसार रिक्त पदों में 19 प्रतिशत पद अनुसचित जाति के रिक्त होने चाहिए थे जबकि वास्तवकिता में 26 प्रतिशत रिक्त हैं। इस प्रकार ये 7 प्रतिशत अतिरिक्त रिक्त पद (1113) अनुसचित जाति के तहत बैकलॉग में हैं। अनुसूचित जनजाति में 5 प्रतिशत पद रिक्त हैं जबकि नियमों के अनुसार 4 प्रतिशत रिक्त होने चाहिए थे। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति में 1 प्रतिशत (संख्या 159) बेकलॉग में हैं। ओबीसी में 13 प्रतिशत पद रिक्त हैं जबकि 14 प्रतिशत होने चाहिए थे। इस प्रकार ओबीसी में बेकलॉग नहीं है।

सचिव कार्मिक ने जानकारी दी कि 90 विभागों द्वारा रिक्त पदों व बैकलॉग के पदो के संबंध में कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवा दी गई है। कुछ अन्य विभागों द्वारा भी यह सूचना उपलब्ध करवाई जानी है। प्राप्त सूचना के अनुसार इन 90 विभागों में कुल 15907 रिक्त पद हैं। इनमें से 8803 सामान्य श्रेणी के हैं। अनुसूचित जाति के 4164 पद, अनुसूचति जनजाति के 812 व ओबीसी के 2128 पद रिक्त हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर बैकलॉग के पदों पर भर्ती प्राथमिकता से की जाए। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों व अर्धसैन्य बलों के शहीदों के आश्रितों को विशेष प्रशिक्षण की स्कीम लांच की जाए।